बिहार सरकार

अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–5/निदे0 (छात्रवृति) 200–26/2018– 31

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना ।

पटना, दिनांक– 03.08.18

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1141 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/–(एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए छात्रावास अनुदान का लाभ देने हेतु अनुसूचित जाति के लिए ₹309.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹21.00 लाख अर्थात कुल–₹330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख रू0) मात्र के व्यय हेतु आवंटित राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत।

2– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–27 दिनांक–02.08.2018 एवं आवंटनादेश संख्या–29 दिनांक–02.08.2018 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 3748 वि0(2) दिनांक 05.04.2010 के आलोक में प्रदान की जाती है।

3– वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में राशि की निकासी की जाएगी।

4– निकासी की जाने वाली स्वीकृत राशि बजट उपबंध के अधीन है।

5– इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

7–इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

8–उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

9– सहायक निदेशक (मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व्यय से संबंधित डी0सी0 विपत्र महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग के स्तर पर संधारित करायेंगे।

विश्वासभाजन

3/8

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक –5/निदे0 (छात्रवृति) 200–26/2018– 31 पटना, दिनांक– 03.08.18

प्रतिलिपि :–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक –5/निदे0 (छात्रवृति) 200–26/2018– 31 पटना, दिनांक– 03.08.18

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त/उप निदेशक (मु0)/सहायक निदेशक (मु0)/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3(डी0)/8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

San. Agrim Nikashi-1000